

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:- लक्ष्मण सि
आ

प्रथम अपील संख्या 25/2023

रामोतार मीणा निवासी भडौन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं, पिनकोड 333024, मो

9983644723

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील।

आदेश


दिनांक 30.0

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.01.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर अपील मिसल नम्बर 25/2023 पर दिनांक 24.01.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं के विरुद्ध पेश है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त कर आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं को प्रस्तुत आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पाठक/2023/640-41 दिनांक 25.01.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं ने पत्रांक एफ 16(4)(5)/सू०अ० /23/144 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी रामोतार मीणा ग्रा०पो० भूडन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं का आवेदन 23.12.2023 कार्यालय में प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध में कार्यालय पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू०अ० /09/04 दिनांक 04.01.2023 के द्वारा अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 3 दिनांक कार्यालय में उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है ताकि प्रार्थी को निश्चित समयावधि में सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। उक्त क्रम में प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग ने प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध संयुक्त निदेशक, सूचना एवं संचार विभाग, झुंझुनूं से होने के कारण संयुक्त निदेशक, सूचना एवं संचार विभाग, झुंझुनूं को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है। अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (अति० जिला कलक्टर) झुंझुनूं द्वारा पत्रांक एफ 16(4)(5)/सू०अ० /23/144 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी रामोतार मीणा ग्रा०पो० भूडन्दा खुर्द, तहसील व जिला झुंझुनूं का आवेदन 23.12.2023

कार्यालय मे प्राप्त हुआ। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे पत्र क्रमांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0 /09/04 दिनांक 04.01.2023 के अधिकारी, राजस्व अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय मे उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है ताकि प्रार्थी समयावधि मे सूचना उपलब्ध करवाई जा सके। उक्त क्रम मे प्रभारी अधि अनुभाग ने प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना का संबंध संयुक्त निदेशक, सूचना एवं संचार विभाग, झुंझुनूं से होने के कारण संयुक्त निदेशक, सूचना एवं संचार विभाग, झुंझुनूं को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना किया जाकर संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, झुंझुनूं दिये जाते है कि प्रार्थी को अपने कार्यालय से संबंधित सूचना 7 दिवस मे निःकराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 09.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया


(एल0एस)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर